न्यूनतम वेतन विधान, १९४८ के अन्तर्गत मार्ग निर्माण या संधारण या भवन निर्माण उद्योग

Employment on Construction or Maintenance of Roads or in Building Operations

में मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्मित

सलाहकार समिति

का

विवरण

शाप्रामुई.-५०६-५००-५-५६

X9(D1):9527.271.N57t
J9
068103

विषय—सूची

		पृष्ठ क्रमांक
(१)	समिति का गठन ..	१
(२)	मध्यप्रदेश राज्य में विलीन हुए क्षेत्रों में निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों का तुलनात्मक पत्रक	२
(३)	समिति के सदस्यों का अभिमत ..	३
(४)	राज्य के सम्भाग में प्रचलित वेतन दरें	४
(५)	समिति के सुझाव	५
(६)	मतभेद-पत्र	७
(७)	परिशिष्ट अ राज्य के चारों ओर के प्रान्तों में निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों का तुलनात्मक-पत्रक	

न्यूनतम वेतन विधान, १९४८ के अन्तर्गत मार्ग निर्माण या संधारण या भवन निर्माण नियोजन

EMPLOYMENT ON CONSTRUCTION OR MAINTENENCE OF ROADS OR IN BUILDING OPERATIONS

में मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्मित सलाहकार समिति का विवरण

मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक ४०-४०२६।१६, दिनांक, भोपाल, ३० अप्रैल १९५७ द्वारा न्यूनतम वेतन विधान, १९४८ (क्रमांक ११ सन् १९४८) की धारा ६ के अन्तर्गत "सड़कें तथा भवन" नियोजन में निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन करने के सम्बन्ध में जांच करने तथा शासन को परामर्श देने हेतु निम्नलिखित समिति नियुक्त की गयी:—

अध्यक्ष	श्री डिप्टी लेबर कमिश्नर (पदेन)
स्वतन्त्र	श्री वी. डी. जावलीकर, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इकानामिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट, भोपाल
नियोक्ता	श्री स्वरूपनारायण बोंडी, ग्वालियर
	श्री लालजी भाई के. पटेल, भोपाल
	श्री सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, पी. डब्ल्यू. डी., जबलपुर
	श्री के. के. हान्डा, नौगांव
	श्री एच. एस. गुप्ता, जबलपुर
नियुक्त	श्री गंगाराम तिवारी, इन्दौर
	श्री नरहरिप्रसाद, शिवपुरी
	श्री सरस्वतीप्रसाद पटेल, बुढार
	श्री के. पी. शर्मा, कैमोर
	श्री गिरिजाशंकर शुक्ला, इटारसी

इस समिति के अध्यक्ष, डिप्टी लेबर कमिश्नर पदेन नियुक्त किये गये थे। शासन द्वारा पद की पूर्ति में विलम्ब होने के कारण श्री ल. र. जोशी ने डिप्टी लेबर कमिश्नर का पद भार दिनांक १४-८-१९५७ को ग्रहण किया. तत्पश्चात् इस समिति की गतिविधि प्रारम्भ हुई।

इस समिति और "पत्थर तोड़ना नियोजन" की समिति का गठन एक ही है यानी दोनों समितियों के अध्यक्ष और सदस्य एक ही है। इसलिये दोनों समितियों की बैठक एक ही दिन बुलाई जाती थी और एक साथ उन पर विचार इत्यादि किया जाता था, केवल विवरण अलग-अलग लिखा जाता था। दोनों नियोजनों में समिति के सदस्यों ने अपनी यात्रा में आवश्यक जांच कर एक सम्मिलित प्रतिवेदन दिया है, जिससे न केवल समय और अर्थ की बचत हुई बल्कि गतिविधि भी शीघ्र समाप्त सम्भव हो सकी।

राज्य पुनर्गठन के पूर्व वर्तमान मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन विधान के अन्तर्गत समितियों की कार्य प्रणाली सम्बन्धित अधिनियमों में भिन्नता होने के कारण यह जानकारी कि कौन से अधिनियम द्वारा इन समितियों का वैधानिक संचालन किया जा सकेगा, आवश्यक प्रतीत हुई। इस सम्बन्ध में शासन की ओर से प्रसारित किये गये स्पष्टीकरण की प्रति श्रमायुक्त कार्यालय से ३-९-१९५७ के ज्ञापन के द्वारा इस समिति को प्राप्त हुई।

शासन ने समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के हेतु राजपत्र में प्रकाशित हुई सूचना से चार मास में देने के आदेश प्रसारित किये थे। समय-समय पर इसकी कार्यकाल अवधि बढ़ाई गयी और शासन के अन्तिम आदेश द्वारा इसकी अवधि १५-४-१९५८ तक बढ़ाई गयी।

समिति की प्रथम बैठक दिनांक १६-१०-१९५७ को आयोजित की गयी। बैठक बुलाने के पूर्व वर्तमान मध्यप्रदेश के चारों विलीन होने वाले क्षेत्रों में जो वहां के भूतपूर्व शासन द्वारा इस नियोजन में निर्धारित न्यूनतम वेतन दरें थी, वे एकत्रित की गयी। और साथ ही साथ मध्यप्रदेश के चारों ओर लगे हुए अन्य प्रान्तों में वहां के श्रम आयुक्तों से उनके राज्यों में शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के दरों की अधिसूचनाओं की प्रतियां मंगवाई गयी। इसके अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों से भी उनके क्षेत्र में इस नियोजन की क्या परिस्थिति है और वहां विगत दो वर्षों के अन्दर भिन्न-भिन्न श्रेणी के श्रमिकों को कितना वेतन किस हिसाब से दिया जाता है, इसकी भी जानकारी, और उनके व्यक्तिगत सुझाव मंगाये गये। विभागीय स्तर पर इस विभाग के अधिनस्थ ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, और रायपुर के सहायक श्रम आयुक्तों से उनके क्षेत्रों में पिछले दो वर्षों की अवधि में इस नियोजन के भिन्न-भिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिये क्या प्रचलित वेतन है, इसकी जानकारी उपलब्ध की गयी।

वर्तमान मध्यप्रदेश के चारों विलीनीकृत क्षेत्रों में निर्धारित न्यूनतम वेतन के दर इस प्रकार हैं:—

श्रमिक वर्ग	मध्यप्रदेश	मध्यभारत	भोपाल	विन्ध्यप्रदेश
पुरुष श्रमिक	०-१०-० से १- ४-०	१- ४-० से ४- ८-०	१- ४-० से २- ०-०	०-१२-० ...
महिला श्रमिक	०-१०-० से ०-१२-०	०-१४-० से १- ४-०	१- ०-० से १- ८-०	... ...
बालक	... ...	०-१०-० से १- ०-०	... ...	... ...

श्रमिक वग				मध्यप्रदेश	मध्यभारत	भोपाल	विन्ध्यप्रदेश
राज	...	...	...	२- ८-०से	...	२- ८-०से	...
				४- ०-०	...	४- ० -०	...
खाती	...	...	...	३- ०-०से	...	"	...
				४- ०-०	...	"	...
लोहार	...	...	...	...	...	"	...
मिस्त्री	...	...	...	...	...	"	...
पेन्टर	...	...	...	...	...	"	...
हथोड़ेवाला		...	...	१- ४-०से	...	"	...
				३- ०-०	...	"	...
भिश्ती	...	...	...	...	...	"	...
दरोगा	...	...	...	...	...	१-८-०से	...
				...	...	३-०-०	...
डामर डालनेवाला			...	१- २-०से			
				१-१२-० (प्रतिदिन की दर से)			

वर्तमान मध्यप्रदेश के चारों ओर स्थित अन्य राज्यों के शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर परिशिष्ट "अ" के अनुसार है ।

इस विषय में जो जानकारी समिति के सदस्यों द्वारा प्राप्त हुई, वह इस प्रकार है:—

श्री गिरिजाशंकर शुक्लः— (रु. आ. पा. में)

मुकद्दम	दैनिक वेतन	...	...	१- ४-० से	२-०-० तक
मजदूर बेलदार	"	...	...	१- २-० से	१- ८-०तक
मजदूर औरत	"	...	...	०-१२-० से	१- ०-०तक
मजदूर लड़के	"	...	...	०- ८-० से	०-१२-०तक
बढ़ई ...	"	...	...	३- ०-० से	४- ०-०तक
कारीगर पत्थर जुड़ाई ...	"	...	...	३- ०-० से	४- ०-०तक
लुहार तथा फिटर		...	...	२- ०-० से	३- ०-०तक
वायरमेन ...	"	...	...	२- ४-० से	३- ०-०तक
पेन्टर ...	"	...	...	२- ४-० से	३- ०-०तक
बैलगाड़ी ...	"	...	...	३- ०-० से	४-० -०तक
टाईमकीपर सड़क	"	...	...	१- ८-० से	२-०-० तक
मिस्त्री टाईमकीपर	"	...	...	१-१२-० से	२- ८-०तक

सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, जबलपुरः—

श्रमिक वर्ग	(प्रतिदिन)	
	शहरी	देहाती
कारीगर	१-४-०	१-२-०
पुरुष श्रमिक	१-२-०	१-०-०
स्त्री श्रमिक	०-१४-०	०-१४-०
बालक एवम् बालिकाएं	०-१०-०	०-१०-०
डामर फैलाने वाला	१-८-०	१-८-०
पत्थर कारीगर	३-०-०	३-०-०
डामर लानेवाला	१-२-०	१-२-०
ईंट कारीगर	२-८-०	२-८-०
सुतार	३-०-०	३-०-०
हथोड़े वाला	१-८-०	१-८-०
मिट्टी तोड़ने वाली महिला श्रमिक	०-१४-०	०-१४-०

श्री सरस्वतीप्रसाद पटेलः—

आमतौर से मजदूरों को ०-१४-० रोज (मर्द) मजदूर को और ०-१२-० रोज रेजा को मिलता है। बाजार में जो मजदूर मकान बनाने में लगे रहते हैं, उन्हें एक रुपया रोज मिलता है और रेजा को ०-१२-० मिलते हैं। मजदूरों की कमी हुई तो १-४-० रोज भी पुरुष को व ०-१४-० रेजा को मिलते हैं।

विभागीय स्तर पर श्रम विभाग के अधिनस्थ ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और रायपुर के सहायक श्रम आयुक्तों से उनके क्षेत्रों में गत दो वर्षों की अवधि में इस नियोजन में क्या प्रचलित वेतन है, उनकी जानकारी उपलब्ध की गयी जो निम्न प्रकार है:—

जबलपुर

भवन निर्माण कार्यः—

बेलदार	१-८-० प्रतिदिन
रेजा	१-०-० प्रतिदिन

सड़क निर्माण कार्यः—

बेलदार	१-०-० से १-२-० प्रतिदिन
रेजा	०-१४-० से १-४-० प्रतिदिन

रायपुर

पुरुष श्रमिक	१-४-० से १-८-० प्रतिदिन
महिला श्रमिक	१-२-० से १-४-० प्रतिदिन

ग्वालियर

पुरुष श्रमिक	२-०-० से ३-०-० प्रतिदिन
स्त्री श्रमिक	१-०-० से १-८-० प्रतिदिन
बालक	०-१२-० से १-०-० प्रतिदिन

उप समितियों द्वारा यात्रा करने और वस्तुतः परिस्थिति की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् ये निश्चय किया गया कि स्त्री एवम् पुरुष श्रमिक के वेतन स्तरों में समानता रखी जाना सम्भवनीय नहीं है। इसका कारण यह है कि पुरुष श्रमिक को स्त्री श्रमिक से इस नियोजन में कहीं अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है इसके अतिरिक्त पुरुष श्रमिक का इस नियोजन में कुछ कुशलता के कार्य भी किये जाना पाये गये हैं।

सुझाव

इस नियोजन में काम करनेवाले श्रमिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिये ३ क्षेत्र बनाये जाने का सुझाव दिनांक ११-२-५८ को इटारसी में हुई बैठक में सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ। तीनों क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है :—

(अ) १ लाख और उससे ऊपर की आबादी के शहर व इनके १० मील की परिधि के स्थान।

(ब) ५ हजार और ५ हजार से १ लाख की आबादी के शहर एवम् इनकी १० मील की परिधि के स्थान।

(स) ५ हजार से नीचे के, जिले के स्थानों को छोड़कर, के स्थान।

इसी प्रकार पुरुष श्रमिकों का तीन श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाना भी सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ, जो कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल हैं।

कुशल श्रमिकों में निम्न श्रमिक (पुरुष) सम्मिलित किये गये :—

मिस्त्री, पत्थर काटनेवाला, लोहार, फिटर, पालीशर, सुपरवाईजर, टाईमकीपर, सड़क कूटने के एन्जिन का ड्रायव्हर, कारीगर (मैसन), ट्रक ड्रायव्हर, वायरमेन और प्लम्बर।

अर्द्धकुशल में निम्न वर्ग के श्रमिक सम्मिलित किये गये :—

कुशल श्रमिकों को सहायता देनेवाले, ट्रेन्ड बेलदार, ट्रेन्ड कुली जैसे कांक्रीट मिलानेवाला, मुकादम, गैंगमेन, कुटाई करनेवाला, क्लीनर, चौकीदार, भिश्ती, डामर फैलानेवाला, डामर लानेवाला, पेन्टर और सलाखें मोड़नेवाला (बार बेन्डर)।

अकुशल में इस नियोजन में कार्य करनेवाले अन्य मजदूर सम्मिलित किये गये।

इस नियोजन के श्रमिकों के लिये निम्न न्यूनतम वेतन प्रस्तावित करने का सुझाव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ :—

श्रमिक वर्ग	(प्रतिदिन की दर से)		
	(अ) क्षेत्र	(ब) क्षेत्र	स (क्षेत्र)
पुरुष :	रु. न.पै.	रु. न.पै.	रु. न.पै.
कुशल	३–५०	३–००	३–००
अर्द्ध कुशल	२–२५	२–००	१–७५
अकुशल	१–५०	१–३७	१–२५
स्त्री श्रमिक	१–२५	१–१२	१–००
बालक एवम् बालिकाएं (१६ वर्ष से कम)	१–००	०–८७	०–७५
गाड़ीवाला गाड़ीबैल सहित	५–००	४–००	३–००

उपरोक्त प्रस्तावित वेतन की दरें समिति की दिनांक ११-२-५८ को इटारसी में हुई बैठक, जिसमें सर्वश्री नरहरिप्रसाद, श्री गिरजाशंकर शुक्ल, श्री के. पी. शर्मा, श्री एच. एस. गुप्ता, श्री वी. डी. आवलीकर एवम् श्री ल. र. जोशी, अध्यक्ष, उपस्थित थे, सर्व सम्मति से स्वीकृत किये गये।

इस समिति के लिये यह बड़े गर्व की बात है कि समिति की गतिविधि एवम् सुझाव सर्व सम्मति से निश्चित हुए इसलिये समिति के सब मनोनीत सदस्य विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।

ल. र. जोशी, अध्यक्ष

सरस्वती प्रसाद पटेल	व्ही. डी. आवलीकर २४-३-५८
के. के. हान्डा	गिरजाशंकर शुक्ल २४-३-५८
हरस्वरूप गुप्ता	एस. एन. छोड़ी
के. पी. शर्मा	नरहरिप्रसाद शर्मा

साथ में दिये गये नये प्रथक राय के नोट के साथ मैं रिपोर्ट से सहमत हूं —गं. रा. तिवारी

"नोट आफ डिसेन्ट" (मतभेद-पत्र)

मार्ग एवम् भवन निर्माण उद्योग में शासन द्वारा निर्मित सलाहकार समिति का विवरण मैंने पढ़ा। मैं उक्त विवरण से सम्पूर्ण सहमत हूं। लेकिन "अ" क्षेत्र के लिये जो न्यूनतम वेतन दर के सुझाव प्रस्तावित किये गये हैं उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि :–

(१) "अ" क्षेत्र में प्रदेश का सबसे अधिक हिस्सा आ जाता है जहां पर कि वह नियोजन अधिकतर होता है, यदि प्रस्तावित दरें प्रभावशील की गयी तो जो कार्य शासन के जन कार्य विभाग की ओर से दिया जाता है उसमें लागत की राशि बहुत बढ़ जावेगी जिससे जन कार्य का खर्च भी बहुत बढ़ जावेगा।

(२) इस प्रान्त में बहुत से पिछड़े हुवे जिले हैं जहां पर श्रमिकों का वेतन अन्य क्षेत्रों से कम है। "ब" क्षेत्र में कुछ पिछड़े हुवे क्षेत्र भी आते हैं।

(३) इस सलाहकार समिति को न्यूनतम वेतन प्रस्तावित करना है न कि "लिविंग वेज"। न्यूनतम वेतन निश्चित हो जाने पर किसी भी नियुक्त को देना आवश्यक हो जाता है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि "स" क्षेत्र में प्रस्तावित न्यूनतम वेतन की दर क्षेत्र "ब" के लिये लगाई जावे और "स" के लिये

पुरुष १ रु. २ आने, स्त्री १४ आने और बालक १० आने

निश्चित किये जायें।

(ह.) मदन मोहन लाल,
सुप्रिन्टेन्डिंग इंजीनियर
पी. डब्ल्यू. डी.,
जबलपुर मन्डल, जबलपुर—
सदस्य.

परिशिष्ट "अ"

मार्ग निर्माण या संधारण या भवन निर्माण उद्योग में मध्यप्रदेश के आसपास के प्रान्तों में निर्धारित न्यूनतम वेतनों का तुलनात्मक पत्रक

श्रमिक की श्रेणी	बिहार	बम्बई	उड़ीसा	मद्रास	उत्तरप्रदेश	राजस्थान
१	२	३	४	५	६	७
	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन या प्रतिमाह
	रु. आने	रु. आने	रु. आने	रु. आने	रुपये	रु. आने
मेसन ...	२- ८	३- २ से ४- ०	..			
सुतार ...	२- ८					
लोहार ...	१-१४	३- २ से ४-००	..			
मिस्त्री ...	"	"	..			
पेन्टर		" "	..			
हथोड़ेवाला ...	..	२- ६ से ३- ४	..			
भिश्ती ...	१- ८	" "	..			
दरोगा ...	"	१-१२ से २- ६	..			
पुरुष मजदूर ...	१- ४	" "	१२आने से १ रु.	कुशल २- ८	१-००	३०- ० प्रतिमाह या
				अकुशल		१- २ प्रतिदिन
				प्रथम श्रेणी १- ४		
				द्वितीय श्रेणी ०-१३		
महिला मजदूर ...	२- ०	.. ..	८आने से १२आ.			
वायरमेन ...	"	.. ..				
मेकेनिक ...	१- ८					
ग्लोजियर ...	"	३- २ से ४- ०				

१	२	३	४	५	६	७
		प्रतिदिन प्रतिदिन				
टीम समीप		३- २ से ४-००				
फोरमेन		" "				
समंग		" "				
पेवमेन		" " "				
फ़ोरमेन		२- ६ से ३- ४				
माली		" " "				
ॲसफाल्ट स्प्रेअर		" " "				
मुकादम		" " "				
सीनियर प्लास्टर		" " "				
मोघानी		" " "				
पुताई करनेवाला (सफ़ेदी)		" " "				
रंग करने वाला		" " "				
टाईल टर्नर		" " "				
मार पेन्टर		" " "				
आईल मेन		" " "				
पम्प ड्रायव्हर		" " "				
मोटर ड्रायव्हर		" " "				
सायर		" " "				
हेड्री पम्प		" " "				
[illegible] पम्प		१-१२				
गंगमेन		१-१२ से २- ६				

१	२	३	४	५	६	७
	प्रतिदिन	प्रतिदिन				
टीम समीप	३- २ से	४-००				
फोरमेन	”	”				
समंग	”	”				
पेवमेन	” ”	”				
फोरमेन	२- ६ से	३- ४				
माली	” ”	”				
ॲसफाल्ट स्प्रेअर	” ”	”				
मुकादम	” ”	”				
सीनियर ब्लास्टर	” ”	”				
मोघानी	” ”	”				
धुलाई करनेवाला (सफदी) ..	” ”	”				
रंग करने वाला	” ”	”				
टाईल टर्नर	” ”	”				
कार पेन्टर	” ”	”				
आईल मेन	” ”	”				
पम्प ड्रायव्हर	” ”	”				
मोटर ड्रायव्हर	” ”	”				
सायर	” ”	”				
हेड्रो पम्प	” ”	”				
” पम्प	१-१२					
गॅंगमेन	१-१२ से	२- ६				